ont>

Title: Need for putting identification mark on food packets with a view to differentiate between vegetarian and non-vegetarian food.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, भारत सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जन भावनाओं को दृटि में रखकर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 में विगत दिनों कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया था। केन्द्र सरकार के द्वारा शाकाहारी एवं मांसाहारी वस्तुओं की पहचान की दृटि से शाकाहारी खाद्य सामग्री एवं दवाओं पर ग्रीन कलर का चिह्न तथा मांसाहारी वस्तुओं पर ब्राउन कलर का प्रतीक चिह्न बनाने के निर्देश दिए गए हैं किन्तु व्यावहारिक दृटि से यह पहचान करना काफी कठिन हो रहा है। अनेक दवाओं एवं खाद्य सामग्री पर 100 प्रतिशत शाकाहारी तो लिखा है किन्तु प्रतीक चिह्न हरे रंग के स्थान पर लाल रंग से बनाया गया है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि वह शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। इसी तरह कुछ वस्तुओं के विज्ञापन के प्रतीक चिह्न का आकार भी बदल दिया जाता है तथा कुछ विज्ञापनों में प्रतीक चिह्न विज्ञापन पेज के कोने में एक तरफ इतना छोटा चिह्न बनाया जाता है कि समझ में नहीं आता। इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के जो विज्ञापन छपते हैं उनमें यह प्रतीक चिह्न केवल एक ही स्याही काले रंग से छपने के कारण हरे एवं ब्राउन कलर की पहचान भी नहो हो पाती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सभी खाद्य सामग्री वस्तुओं एवं दवाओं के पैकेटों के ऊपर तथा विज्ञापनों में प्रतीक चिह्नों का निश्चित आकार तथा हरे कलर के प्रतीक चिह्न के नीचे शाकाहारी तथा ब्राउन कलर के प्रतीक चिह्न के नीचे मांसाहारी शब्द लिखवाने के निर्देश दिए जायें।